कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

स्वामी विवेकानंद मार्ग,मेन रोड जांजगीर, फोन नं. 07817222033, टोल फ्री नं. 18002332557

क्रं./अशास.सं/अनु.मान्य./2025/306/2229 जांजगीर, दिनांक 17/04/2025

प्रति,

प्राचार्य
लायंस इंग्लिस हायर सेकेण्डरी स्कूल चाम्पा
वि.खं.-बम्हनीडीह
जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

विषयः– बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्‌देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत विद्यालय के नियम मान्यता प्रमाण पत्र।

-----00000-----

आपका आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत **लायंस इंग्लिस हायर सेकेण्डरी स्कूल चाम्पा, वि.खं.-बम्हनीडीह** (विद्यालय का नाम पता सहित) को **कक्षा-नर्सरी से बारहवीं** तक सत्र **2025-26 से 2027-28 तक 03 वर्षो** के लिये अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

01. मान्यता की स्वीकृति परिवर्तनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद से संबंधित नहीं है।
02. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1 व 2) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
03. विद्यालय, पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
04. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
05. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चें का या उसके माता-पिता पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित करेगा।
06. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चें को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
07. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि–
    - प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
    - किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
    - किसी भी बच्चें का प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
    - कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
    - शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सहित नियुक्त किये जाते है। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर एसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेंगे।
    - शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्‌देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा।
08. विद्यालय उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
09. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधायें निम्नानुसार है–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- खेल के मैदान का क्षेत्रफल
- अध्यापन कक्षाओं की संख्या
- प्रधान पाठक सह कार्यालय सहभण्डार हेतु कक्ष
- बालको औंर बालिकाओं के लिए पृथ्रक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन
- बाधारहित पहुंच मार्ग
- शिक्षण अधिगम सामाग्री
- खेलकुद के उपकरण
- पुस्तकालय की संख्या

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय मे बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायेगा
12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावहारिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी के द्वारा किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।
15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिये और चार्टर्ड एकाउटेंट में प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउण्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये। एकाउण्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना होगा।
16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता को किसी भी पत्राचार में इसे अंकित करना होगा।
17. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाये।
19. अन्य शर्त एनकेसर 3 के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

पृ.क्रं./अशास.सं/अनु.मान्य./2025/2230 **जांजगीर, दिनांक 17/04/2025**

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय खण्ड–3 प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चाम्पा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी **बम्हनीडीह** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)